Social Welfare Dept., Bihar

Sanction Order No. /2018-19

राज्य स्कीम की राशि

3/यो0-28/2018

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश 07

(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 18.4.18

विषय : **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना (प्रस्तावित) एवं मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अतिरिक्त समाज कल्याण निदेशालय द्वारा अन्य प्रक्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कुल रूपये 2,430 लाख (दो हजार चार सौ तीस लाख) मात्रके व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त् विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना (प्रस्तावित) एवं मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अतिरिक्त समाज कल्याण निदेशालय द्वारा अन्य प्रक्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कुल रूपये 2,430 लाख (दो हजार चार सौ तीस लाख) मात्र का बजट उपबंध कर्णाकित है। उक्त के आलोक में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना (प्रस्तावित) एवं मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अतिरिक्त समाज कल्याण निदेशालय द्वारा अन्य प्रक्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कुल **रूपये 2,430/- लाख (दो हजार चार सौ तीस लाख)** मात्र की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

राशि रू0 लाख में

क्र0	**योजना का नाम**	**विपत्र कोड**	**मूल बजट उपबंध**
1	महिला विकास निगम	(51-2235021030105)	00.00
2	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग)	(51-22350210601 07)	00.00
3	बाल दोषी अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	(51-2235021060106)	1500.00
4	प्रदर्शनी, सेमिनार एवं सम्मेलन	(51-2235022000106)	20.00
5	पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	(51-2235021010111)	10.00
6	पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह का निर्माण	(03-4235020510104)	200.00
	कुल योग (दो हजार चार सौ तीस लाख रू0)		**2430.00**

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला के सहायक

निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई घोषित है। पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

3. महिला विकास निगम हेतु स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-28/2018 के टिप्पणी पृ0-02/टि0 पर दिनांक-17.04.2018 को माननीया विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0- 3/यो0-28/2018 के टिप्पणी पृ0-03./टि0 पर दिनांक-18.04.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

8. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-28/2018/ 07 पटना-15, दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/भवन निर्माण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-28/2018/ 07 पटना-15, दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4/18

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।